


डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.सं.

प्रधान सचिव एवं विकास का  
वित्त विभाग  
बिहार सरकार



पुराना सचिवालय, पटना - 800 015  
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)  
फैक्स : +91-612-2217694  
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

बिहार, पटना पत्र सं०-एम-4-09/2014... 2430 वि०

प्रेषक,

डॉ० एस० सिद्धार्थ,  
प्रधान सचिव ।

श्री राजीव (0-0) सेवा में,  
19/03

सभी अप्रर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी,  
बिहार, पटना ।

4038  
12-3-19  
15-3-2019

पटना-15, दिनांक 11/03/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन/ उप-आवंटन की कार्रवाई CFMS में प्रविष्टि किये जाने हेतु ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि दिनांक 01.04.2019 से वित्तीय संव्यवहारों के निमित्त सी.एफ.एम.एस. व्यवस्था लागू की जा रही है । सी.एफ.एम.एस. व्यवस्था में बिना आवंटन/उप-आवंटन के राशि की निकासी कोषागार से नहीं हो पायेगी । इस संबंध में दिनांक 07.03.2019 को अपराह्न 4.00 बजे सचिवालय सभागार में वित्त विभाग की ओर से सी.एफ.एम.एस. पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी सभी कोषागार पदाधिकारियों एवं उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । वित्त विभागीय पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0-06/2019 256/वि0 दिनांक- 26.02.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि के विरुद्ध व्यय किये जाने संबंधित दिशा-निर्देश सभी विभागों को संसूचित है, तथा इसकी प्रति वित्त विभाग के बेवसाईट <http://finance.bih.nic.in> पर उपलब्ध है ।

अतः अनुरोध है कि अपने कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के निमित्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट-उपबंध के विरुद्ध आवश्यक राशि का बजट आवंटन/ उप-आवंटन से संबंधित प्रविष्टि CFMS में करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि दिनांक 01.04.2019 से CFMS व्यवस्था के तहत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से सुचारु रूप से हो सके ।

विश्वासभाजन

11/3/2019  
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)  
प्रधान सचिव ।


श्री राजीव (0-0)  
19/03

2019  
12/3/19

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक:  
प्रतिलिपि-

यो0ब02/1-23/2016-1384 /यो0वि0,पटना,दिनांक 19 मार्च, 2019  
निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक,  
मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य योजना  
पर्षद, पटना/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास  
अभिकरण, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं  
पुनर्निर्माण सोसाईटी, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,  
बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला योजना  
पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, बिहार/सभी कार्यपालक  
अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी उप निदेशक  
(सांख्यिकी), बिहार/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार/आई0टी0  
मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग (विभाग के साईट पर अपलोड करने हेतु)  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
18.03.2019  
(राजीव कुमार)  
उप निदेशक